न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5044/2018/भोपाल/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 01.06.2018 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल ईटेखेडी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल प्रकरण क्रमांक 148/अ-12/17-18.

देवेन्द्र सिंह आ. रूपसिंह जाट
निवासी ग्राम निपानियाजाट,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

1. मोहब्बत सिंह आ. माधौसिंह
   निवासी ग्राम निपानियाजाट,
   तहसील हुजूर, जिला भोपाल
2. म.प्र. शासन द्वारा जिलाध्यक्ष
   जिला भोपाल, म.प्र. .....अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/5/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल ईटेखेडी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा पारित दिनांक 01.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र. 1 मोहब्बत सिंह द्वारा ग्राम निपानिया जाट तहसील हुजूर, जिला भोपाल स्थित उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा क्रमांक 199/2, 201, 202/2, 206, 261/2, 265/2 रकबा 0.020, 1.950, 0.030, 1.800, 0.810, 0.110 कुल रकबा 4.720 हैक्टेयर/एकड़ के सीमांकन हेतु संहिता की धारा 129 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल ईटेखेडी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्र. 148/अ-12/17-18 दर्ज कर दिनांक 22-5-18 को सीमांकन

किया जाकर, दिनांक 01.06.2018 को सीमांकन आदेश पारित किया गया। राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा संहिता की धारा 129 के प्रावधानों एवं नियमों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि आवेदक पर सूचना की कोई तामीली नहीं की गई और न ही पंचनामा दिनांक 22.05.2018 में आवेदक की उपस्थिति का उल्लेख है। उक्त समस्त कार्यवाही आवेदक के पीठ पीछे किये जाने से नैसर्गिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है। अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा न तो सीमांकन की सूचना दी और न ही आवेदक की उपस्थिति में सीमांकन किया गया। इस प्रकार समस्त सीमांकन की कार्यवाही विधि विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक सहित समस्त पड़ोसी कृषकों को सूचना दी गई है, जिस पर आवेदक द्वारा सूचना पत्र लेने से इंकार किये जाने का उल्लेख है, अत: यह नहीं माना जा सकता कि आवेदक को सीमांकन की सूचना नहीं थी । स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा टी.सी.एम. मशीन से विधिवत सीमांकन किया जाकर, पंचनामा बनाया गया है, जिस पर आवेदक के पुत्र जीवन सिंह एवं उपस्थित पंचों के हस्ताक्षर हैं । अत: राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सीमांकन किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं हैं ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल ईटेखेडी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2018 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर